न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान2018 के तहत रा.लो.अ. केंप कोर्ट अटल सेवा केन्द्र डोडुआ

राजस्व वाद सं.91 / 2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
नैनाराम उर्फ नानाराम पुत्र मूलाजी जाति माली आयु 70 वर्ष निवासी वराल तहसील व जिला सिरोही		1– जैसाराम पुत्र ताराजी 2– दीपाराम पुत्र ताराजी 3– मूपाराम पुत्र ताराजी 4– भूदाराम पुत्र मूलाजी 5– मगन पुत्र मूलाजी सभी आयु व्यस्क जाति माली निवासी वराल तह.व जि. सिरोही 6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1–वादी की ओर वकील श्री राजेन्द्र पुरी
2–प्रतिवादी सं. 6 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 188 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत
वास्ते प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 27–6–2018

वादी ने जरिये वकील यह राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक का वास्ते प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 3–11–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तत्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि वादी ने अपने उक्त वादपत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी मौजा ग्राम डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खसरा नंबर 476/477/478/479/480/481/491/591 कुल किता 8 कुल रकबा 6.13 हैक्टेयर कृषि आराजी जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खातेदारी की कृषि आराजी है जिसमे वादी का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/2 हक हिस्सा बतौर खातेदारी दर्ज है जिसके समर्थन मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकल संलग्न है एवं उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी मे चली आ रही है एवं सहकाश्तकार है एवं मोके पर काबिज है। उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी मे संयुक्त रूप से मौके पर अपने अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे है एवं मोके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 पिछले 1 एक माह से वादी को अपनी खातेदारी की कृषि आराजी मे काश्त करने मे हमेशा आये दिन दोनो भाई मिलकर वादी जो 70 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है उसके साथ झगडा फसाद करते है एवं काश्त करने मे दखलंदाजी व बाधा कारित करते है। जबकि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को उक्त अवैध कृत्य कारित करने का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का वादग्रस्त आराजी से कतई संबंध में नही है एवं न ही उक्त आराजी से कोई लेना देना है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 आपस मे रिश्तेदार लगते है और इसी बदनियति से वादी जो की 70 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है उसे पिछले एक माह से वादी की जो अरण्डी की फसल बोई हुई है उसमे काश्त करने से आये दिन झगडा फसाद बाधा कारित करते है एवं धमकी दी है कि वो जबरदस्ती अरण्डी की फसल को नष्ट कर देंगे एवं वादी द्वारा काफी समझाने के बावजूद भी नही मान रहे है इस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पडा । अतः वादी का यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आश्य की डिक्री जारी करावें कि वर्णित कृषि आराजी मे प्रतिवादी संख्या 4 व 5 उक्त कृषि आराजी मे प्रवेश नही करें

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 2

एवं न ही काश्त करने मे किसी भी प्रकार की रूकावट-बाधा या झगडा फसाद करें और न ही फसल को नुकसान पहुँचाये ।

वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र व संलग्न फोर्म नंबर 3 मे वर्णित राजस्व रेकर्ड दस्तावेजात प्रतियॉ क्रमशः वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि आराजी खसरा नंबर 476-477-478-479-480-481-491-591 कुल किता 8 कुल रकबा 6.13 हैक्टेयर जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 283 का अध्ययन कर उस पर मनन किया तो वादपत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 3-11-2017 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को जवाबदावा पेश करने हेतु समन जारी किये गये जिस पर उक्त प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 8-12-2017 को दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 1-2-3-5 को समन तामिल होने के बावजूद न्यायालय मे हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1-2-3 व 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये । दौराने सुनवाई न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील श्री नगेन्द्र मेडतियॉ ने अण्डर टेकिंग लेने से प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील को वकालतनामा व जवाबदावा पेश करने हेतु समय दिया गया ।

आज दिनांक 27-6-2018 को राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र डोडुआ मे मेरे समक्ष पेश हुई । पत्रावली देखने पर पाया कि इस प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 12-1-2018-20-2-2018-3-4-2018-8-5-2018 को प्रतिवादी संख्या 4 को उनके वकील नगेन्द्र मेडतियॉ को वकालतनामा व जवाबदावा पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर के बावजद सीपीसी के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि मे प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाबदावा व वकालतनामा नही आने से आगे समय दिया जाना न्यायोचित नही होने से प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये । प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट की ओर से तहसीलदार-सिरोही ने निवेदन किया कि विचारण प्रकरण मे स्टेट तहसीलदार-सिरोही फोरमल पक्षकार होने व राजहित प्रभावित नही होने से स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश करने की आवश्यकता नही होने से स्टेट तहसीलदार-सिरोही का जवाबदावा बंद कराना फरमावें जिस पर तहसीलदार-सिरोही के निवेदन अनुसार प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट का जवाबदावा बंद किया गया । दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक को केम्प कोर्ट मे हाजिर होने का नोटिस तामिल होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक स्वंय या इनके वकील कोई भी हाजिर नही होने से दौराने सुनवाई वादी की ओर से वकील श्री राजेन्द्रपुरी हाजिर होने से वकील वादी की एक तरफा अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील वादी ने अपनी बहस मे वादपत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी मौजा ग्राम डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खसरा नंबर 476-477-478-479-480-481-491-591 कुल किता 8 कुल रकबा 6.13 हैक्टेयर कृषि आराजी जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खातेदारी की कृषि आराजी है जिसमे वादी का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/2 हक हिस्सा बतौर खातेदारी दर्ज है जिसके समर्थन मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की नकल संलग्न है एवं उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी मे चली आ रही है एवं सहकाश्तकार है एवं मोके पर काबिज है। उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी मे संयुक्त रूप से मौके पर अपने अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे है एवं मोके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 पिछले 1 एक माह से वादी को अपनी खातेदारी की कृषि आराजी मे काश्त करने मे हमेशा आये दिन दोनो भाई मिलकर वादी जो 70 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है उसके साथ झगडा फसाद करते है एवं काश्त करने मे दखलंदाजी व बाधा कारित करते है। जबकि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 3

उक्त अवैध कृत्य कारित करने का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का वादग्रस्त आराजी से कतई संबंध मे नही है एवं न ही उक्त आराजी से कोई लेना देना है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 आपस मे रिश्तेदार लगते है और इसी बदनियति से वादी जो की 70 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है उसे पिछले एक माह से वादी की जो अरण्डी की फसल बोई हुई है उसमे काश्त करने से आये दिन झगडा फसाद बाधा कारित करते है एवं धमकी दी है कि वो जबरदस्ती अरण्डी की फसल को नष्ट कर देंगे एवं वादी द्वारा काफी समझाने के बावजूद भी नही मान रहे है इस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पडा । अतः वादी का यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आश्य की डिक्री जारी करावें कि वर्णित कृषि आराजी मे प्रतिवादी संख्या 4 व 5 उक्त कृषि आराजी मे प्रवेश नही करें एवं न ही काश्त करने मे किसी भी प्रकार की रूकावट/बाधा या झगडा फसाद करें और न ही फसल को नुकसान पहुॅचाये । हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र व संलग्न फोर्म नंबर 3 मे वर्णित राजस्व रेकर्ड दस्तावेजात प्रतियॉ क्रमशः वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि आराजी खसरा नंबर 476/477/478/479/480/481/491/591 कुल किता 8 कुल रकबा 6.13 हैक्टेयर जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 283 का अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि प्रकरण मे न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/2/3/5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 8–12–2017 को हो चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश आज हुये है। पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त आराजी की उक्त वर्णित जमाबंदी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । सम्पूर्ण प्रकरा के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि वादी नाना पुत्र मुला उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी का 1/2 हक हिस्से का खातेदार कृषक है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक क्रमशः जैसाराम/दीपाराम/मुपाराम पिसरान तारा मु.रम्बा बेवा तारा 1/2 हक हिस्से के खातेदार कृषक है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है तथा मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 तक सहकाश्तकार भी है। उक्त जमाबंदी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक नही है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 पिछले 1 एक माह से वादी को अपनी खातेदारी की कृषि आराजी मे काश्त करने मे हमेशा आये दिन दोनो भाई मिलकर वादी जो 70 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है उसके साथ झगडा फसाद करते है एवं काश्त करने मे दखलंदाजी व बाधा कारित करते है। जबकि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को उक्त अवैध कृत्य कारित करने का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का वादग्रस्त आराजी से कतई संबंध मे नही है एवं न ही उक्त आराजी से कोई लेना देना है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 आपस मे रिश्तेदार लगते है और इसी बदनियति से वादी जो की 70 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है उसे पिछले एक माह से वादी की जो अरण्डी की फसल बोई हुई है उसमे काश्त करने से आये दिन झगडा फसाद बाधा कारित करते है एवं धमकी दी है कि वो जबरदस्ती अरण्डी की फसल को नष्ट कर देंगे एवं वादी द्वारा काफी समझाने के बावजूद भी नही मान रहे है।

उपरोक्त आधार पर वादी का यह वाद अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.एक्ट का विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 तक का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा डोडुआ पटवार हल्का डोडुआ तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि आराजी खसरा नंबर 476/477/478/479/480/481/491/591 कुल किता 8 कुल रकबा 6.13 हैक्टेयर मे प्रवेश नही करे एवं न ही काश्त करने मे किसी भी प्रकार की रूकावट/बाधा या झगडा फसाद करें न ही फसल को

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 4

नुकसान पहुँचायें । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । निर्णय रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र डोडुआ मे मजमे आम मे सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

27/6/18
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 27–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर ⁄ पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

27/6/18
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही